इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 26, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

क्र. 2367784—2024—छब्बीस—2.— मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6(2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु जिला कलेक्टर को निराश्रित निधि की मूलधन/ब्याज की राशि से मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के पूर्ण वित्तीय अधिकार होंगे, अर्थात् वह रुपए 2.00 लाख की सीमा से अधिक राशि को भी केवल इस योजना के लिए निराश्रित निधि ई—पेमेन्ट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खर्च/आहरण कर सकेंगे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.